तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी/एल आर/4689/2003/अलवर **दिनेश कुमार व अन्य बनाम उषारानी व अन्य** **निगरानी/एल आर/4700/2003/अलवर** **दिनेश कुमार व अन्य बनाम मनोहर लाल व अन्य**	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री खडग सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह दोनों निगरानी अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 23–7–03 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बम्बोरा का नामान्तरकरण संख्या 1051 खातेदार बूटाराम पुत्र भगमल के फौत होने पर ग्राम पंचायत बम्बोरा ने दिनांक 26–7–95 को आदेश पारित करते हुये बहक मनोहर लाल, श्याम लाल, प्रेमचन्द, दिनेश कुमार, सुभाष चन्द, राजीव कुमार पुत्रान व श्रीमती करतारी बाई बेबा के नाम समभाग का स्वीकृत करने व करतारी बाई की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की कृषि भूमि को छ भाईयों में बराबर–बराबर बांटने के आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर उपखण्ड अधिकारी किशनगढवास के न्यायालय में दो अपील मनोहर लाल व उषारानी ने प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 8–10–99 से अपील स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार किशनगढवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वारिसान की सही जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुसार इन्तकाल तस्दीक करें। इस आदेश से व्यथित होकर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में दो अपीलें दिनेश कुमार बनाम मनोहर लाल व दिनेश कुमार बनाम उषारानी प्रस्तुत की गई। जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23–7–03 के द्वारा दोनों अपीलें खारिज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल आर/4689/2003/अलवर** **दिनेश कुमार व अन्य बनाम उषारानी व अन्य** **निगरानी/एल आर/4700/2003/अलवर** **दिनेश कुमार व अन्य बनाम मनोहर लाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर दी। इससे व्यथित होकर यह दोनों निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात पेश किये थे जिनसे यह बखूबी साबित था कि विद्यादेवी पुत्री ईरसदास का बूटाराम पुत्र भागमल से तलाक हो चुका था और तब तक मनोहर लाल नाम का कोई लडका उसका नहीं था। उक्त दस्तावेजों में मृतक बूटाराम के दो किता राशनकार्ड,वोटर लिस्ट 1953,ग्राम बम्बोरा, वोटर लिस्ट 1988 ग्राम जालन्धर, विद्यादेवी पुत्री ईसरदास का मृत्यु प्रमाण पत्र,कोर्ट नोटिस दिनांक 22–5–95, वसीयतनामा दिनांक 15–12–57 और उक्त वसीयतनामे का अंग्रेजी रूपान्तरण आदि थे जो पक्षकारों के मध्य उत्पन्न बिन्दुओं को निपटारा करने के लिये अहम भूमिका निभा सकते थे। उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों के बारे में कोई निर्णय पारित नहीं किया है। उनका तर्क है कि ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया था जिसमें सभी की सहमति थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय पारित करने के लिये पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध थी, इसलिये उनको अपने स्तर पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर प्रार्थी के पक्ष में हुये नामान्तरकरण संख्या 1051 को बहाल रखा जावे।

5– बहस के खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि मृतक बूटाराम ने हिन्दु रीतिरिवाज के अनुसार विद्यादेवी से विवाह किया था। उसके नुफते से मनोहरलाल पैदा हुआ। बूटाराम का स्वर्गवास दिनांक 18–9–92 को हुआ व विद्यादेवी का स्वर्गवास दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल आर/4689/2003/अलवर** **दिनेश कुमार व अन्य बनाम उषारानी व अन्य** **निगरानी/एल आर/4700/2003/अलवर** **दिनेश कुमार व अन्य बनाम मनोहर लाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23–2–95 को हो गया। इस प्रकार मनोहरलाल ही एकमात्र वारिस बूटाराम का है। प्रार्थीगण का बूटाराम की सम्पति में कोई हक नहीं बनता है। नामान्तरकरण संख्या 1051 बिना सुने,बिना कब्जे की जांच किये व विरासत की जांच किये बिना स्वीकृत किया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन रहा है कि बूटाराम ने दूसरी शादी की थी व उसकी पत्नी करतारो देवी थी। कानूनन एक पत्नी के रहते हुये दूसरी शादी नहीं कर सकता है। विद्यादेवी का तलाक हो गया हो ,ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। विद्यादेवी की मृत्यु बूटाराम के पश्चात हुई है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने जांच हेतु प्रकरण को तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में बूटाराम की विरासत का प्रश्न निहित है। ग्रम पंचायत ने दिनांक 26–7–95 को आदेश पारित करते हुये बूटाराम की विरासत का नामान्तरकरण बहक मनोहर लाल, श्याम लाल, प्रेमचन्द, दिनेश कुमार, सुभाष चन्द, राजीव कुमार पुत्रान व श्रीमती करतारी बाई बेबा के नाम स्वीकृत किया था। इस सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष मनोहर लाल व उषारानी ने दो अलग अलग अपीलें पेश की हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष इन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत का कौरम भी पूर्ण नहीं था। इस नामान्तरकरण में दर्ज सजरे में उषाकुमारी व दर्शना कुमारी का नाम भी दर्ज था परन्तु निर्णय में उक्त नामों को हजफ करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है जिसका परीक्षण किया जाना आवश्यक है। ग्रम पंचायत ने विरासत के सम्बन्ध में वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। इसलिये दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे। उपखण्ड अधिकारी ने वारिसान की जांच करने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल आर/4689/2003/अलवर** **दिनेश कुमार व अन्य बनाम उषारानी व अन्य** **निगरानी/एल आर/4700/2003/अलवर** **दिनेश कुमार व अन्य बनाम मनोहर लाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है। जहां पक्षकारान को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जावेगा। इसलिये उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानियां खारिज योग्य हैं।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह दोनों निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य